न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः—पीयूष समारिया ,I.A.S.

प्रकरण संख्या —47/2025 (अपील)

GCMS No.2025/59

1. सन्जू बाई पत्नी श्री रामलाल जाति धाकड
   निवासी एच एस कॉलोनी राधाकृष्ण मन्दिर के पास, रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. मोहम्मद आशिक पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी
4. हदीशा बेगम पत्नी श्री मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. रूबीना खां पुत्री मोहम्मद शफीक जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——अपीलान्टगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र कामड़लाल जाति मेहर निवासी सांडपुर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. किशनलाल पुत्र कान्हा जाति भील निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. रामकंवरी पुत्री कान्हा जाति भील निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 28.03.2025 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 01/2025 उनवान बजरंगलाल बनाम सन्जू बाई वगै0 अन्तर्गत धारा 183—बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बजरंगलाल रेस्पोडेन्ट स्वंय

निर्णय

दिनांकः— 16.07.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी बजरंगलाल अपील में रेस्पो0 नं0 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी के सम्बन्ध में मि0नं0 01/2025 में दिनांक 28.03.2025 को निर्णय पारित किया कि— "गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 0.91 हे0 किस्म बारानी द्वितीय वाके माल मोजा खैराबाद से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 0.91 हे0 किस्म बारानी द्वितीय पर से अप्रार्थीगण को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावें । निर्णय की प्रति पालनार्थ पटवारी हल्का खैराबाद व भू अभिलेख निरीक्षक खैराबाद को भिजवाई जाकर लिखा जावे कि अपील मियाद गुजरने बाद पालना पेश हो । "

जिला कलक्टर
कोटा

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलांट ने यह अपील दिनांक 23.04.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी नं0 1 द्वारा धारा

183–बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम खैराबाद की खसरा नम्बर 341 की 0.91 हे0 भूमि से अपीलान्टस अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रार्थी को उपरोक्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आदेश करने में त्रटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अप्रार्थीगण को जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट्स को अपील विषयक भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है।न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 नं0 1 स्वयं उपस्थित, शेष बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट स्वयं को सुना गया ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थना पत्र विषयक अपील विषयक उपरोक्त भूमि बालाजी पुत्र श्री किशना जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी को आवंटित की गई थी । उपरोक्त भूमि पर आवंटी बाला का भी कभी कब्जा नहीं रहा था, उसके द्वारा उपरोक्त भूमि का बैचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति बाला द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को किये जाने से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध एवं प्रभावशून्य था । इस कारण उपरोक्त भूमि पर बाला के अधिकार समाप्त हो गये थे, परन्तु उसका नाम खाते में पूर्ववत दर्ज रहा । बाला की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त भूमि बाला के वारिसान के खाते में गलत रूप से दर्ज किये जाने से उनके द्वारा पूर्व बैचान के तथ्य को छिपाकर पुनः उपरोक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बैचान कर दिया, उक्त बेचान भी अवैध एवं प्रभावशून्य है । प्रार्थना पत्र विषयक उपरोक्त भूमि पर बाला, प्रभूलाल का बाला के वारिसान का एवं बजरंगलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स को उपरोक्त भूमि से बेदखल किये जाने का एवं कब्जा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को संभलाये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया कि ग्राम खैराबाद की अपील विषयक खसरा नम्बर 341 की 0.91 हे0 भूमि एक भू–पट्टी के रूप में है । राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रास्ता बजरंगलाल के खेत तक कायम है । वर्तमान में भी प्रार्थना पत्र विषयक उपरोक्त भूमि में होकर ग्राम खैराबाद से ग्राम सोहनखेडा जाने वाला रास्ता कायम है, उक्त रास्ता आम रास्ता है जो वर्तमान में भी अपीलान्ट्स एवंदीगर ग्राम वासियान के आने जाने में उपयोग में आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जांच किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने मे त्रुटि की है । वर्णित परिस्थितियों में उक्त रास्ता यथावत कायम रखा जाना आवश्यक है । वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि के आवंटी बाला द्वारा वर्णित भूमि का आवंटन सवर्ण को किया जाने से 175 रा0टी0एक्ट का प्रकरण न्यायालय एसडीओ रामगंजमण्डी में विचाराधीन है । 175 का प्रकरण विचाराधीन रहते हुए उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में 183–बी का प्रकरण नहीं बनता है । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1991 page 30 प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित जांच किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जेर अपील निरस्त फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । खसरा नम्बर 341 की 0.91 हे0 भूमि वाके ग्राम खैराबाद में स्थित रास्ता पूर्व की भांति यथावत कायम रखा जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट नं0 1 स्वयं उपस्थित । रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने से प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महो0 को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाया गया तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण में जांच कराई जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई की गई । तथा प्रार्थी की जमीन पर अप्रार्थीगण का नाजायज कब्जा होने से अप्रार्थीगण की बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो उचित है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी खातेदार बजरंगलाल की ग्राम खैराबाद स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 की रकबा 0.91 हे0 पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत 183–बी रा0टी0 एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जाति की भूमि पर अप्रार्थीगण सवर्ण का कब्जा पाया जाने से अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के अप्रार्थीगण को अतिचारी मानते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 28.03.2025 को पारित किया है । जिसकी अपील अप्रार्थीगण अपीलांट ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उक्त भूमि बाला को आवंटन हुई थी, जिस पर बाला का भी कब्जा नहीं था, तथा बाला अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण को बेचान कर दिया गया था किन्तु भूमि केता के नाम नहीं होने एवं बाला के ही खाते में होने से पुनः उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 बजरंगलाल को अवैध बैचान कर दिया है, तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में 175 रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में भी प्रकरण विचाराधीन होना बताते हुए वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183–बी के अन्तर्गत पारित आदेश को उचित नहीं बताया है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हो रहा है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट को प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया है, तथा प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम खैराबाद के खाता संख्या 559 के खसरा नं0 341 रकबा 0.91 व 344 रकबा 0.55 हे0 भूमि खातेदार बजरंगलाल पुत्र कामडलाल जाति मेहर के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है, जिस पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों अपीलांटगण द्वारा कब्जा किया जाना पाया गया है तथा अप्रार्थीगण अपीलांटगण को खसरा नम्बर 341 की भूमि पर अतिचारी मानते हुए अन्तर्गत धारा 183–बी के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अपीलांटान को बेदखली के आदेश पारित किये है जिसमें हम कोई दोष नहीं पाते है । अपीलांट का यह कथन कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में 175 रा0टी0एक्ट का प्रकरण विचाराधीन रहने के कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है, ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य है जिससे 175 रा0टी0 एक्ट का प्रकरण विचाराधीन होना साबित होता हो । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RRD 1991 page 30 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183–बी के प्रावधानों के तहत ही कार्यवाही की गई है जो उचित होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा